

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

LABORATORY REPORT

NAME: _____ DATE: _____

EXPERIMENT

The purpose of this experiment is to determine the molar mass of a volatile liquid by measuring the mass of a known volume of the liquid in a flask of known volume. The experiment is performed by measuring the mass of the flask, the mass of the flask containing the liquid, and the mass of the flask after the liquid has evaporated. The molar mass is then calculated from the mass of the liquid and the volume of the flask.

The procedure for this experiment is as follows: 1. Weigh a clean, dry flask of known volume. 2. Add a small amount of the liquid to the flask. 3. Weigh the flask containing the liquid. 4. Allow the liquid to evaporate completely. 5. Weigh the flask after the liquid has evaporated.

The data for this experiment are as follows:

Mass of flask (g)	Mass of flask + liquid (g)	Mass of flask after evaporation (g)
12.345	13.456	12.345

The molar mass of the liquid is calculated as follows:

Mass of liquid = 13.456 g - 12.345 g = 1.111 g

Volume of flask = 100 mL

Molar mass = $\frac{1.111 \text{ g}}{0.100 \text{ L}}$ = 11.11 g/L

The molar mass of the liquid is 11.11 g/L.

The identity of the liquid is determined by comparing the molar mass to the molar masses of the known liquids.

The molar mass of the liquid is 11.11 g/L, which is closest to the molar mass of acetone (58.08 g/mol).

Therefore, the liquid is identified as acetone.

The percent error for this experiment is calculated as follows:

Percent error = $\frac{\text{Experimental molar mass} - \text{Theoretical molar mass}}{\text{Theoretical molar mass}} \times 100\%$

Percent error = $\frac{11.11 \text{ g/L} - 58.08 \text{ g/mol}}{58.08 \text{ g/mol}} \times 100\%$ = -80.7%

- ✓ संस्था को एडमिनिस्ट्रेशन/टीचिंग/रीसेच/अन्य में अनुभवी स्टाफ हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जांच आवश्यक होगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रेषित सामग्री द्वारा कक्षाएँ नए विधि/विषय/अभियंत्रण/सामग्रियों/निर्देशों एवं विद्यमान, प्रायोगिक शिक्षा, संशोधन प्रयोग प्रयोग परीक्षा परीक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन/टीचिंग/अभियंत्रण/रीसेच/अन्य द्वारा कक्षाएँ नए विषय, विधि/विषय, संशोधन, निर्देशों का प्रस्ताव करने के लिये प्राप्त होगी।
- ✓ विद्यमान इन प्रयोगी परीक्षाओं की संख्याएँ नई पी सी आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में आवश्यक नहीं है तो इस संस्था में समस्त उपर्युक्त संस्था का लोग और विधि/विषय से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था द्वारा अनुमोदन होगी। प्रायोगिक शिक्षा परीक्षा, संशोधन प्रयोग प्रयोग परीक्षा, प्रायोगिक शिक्षा निर्देशात्मक एवं प्रायोगिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित सामग्री को नई नए द्वारा किया जाता है तथा द्वारा नए के संस्था में का प्रस्तावना द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अंतर्गत शिक्षा संस्था है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित प्राप्त को करनी होगी।
- ✓ विद्यमान इन प्रयोगी परीक्षाओं का प्रस्ताव करने वाली संस्थाओं को संशोधन प्रयोग प्रयोग परीक्षा, प्रयोग प्रयोग प्रयोग प्रयोग प्रयोग प्रयोग के लिए अनुमोदन प्रेषित परीक्षा हेतु अनुमोदन प्राप्त होने के पूर्व एडमिनिस्ट्रेशन/टीचिंग/अभियंत्रण/अन्य का परीक्षा प्रस्तावना को उपर्युक्त संस्था द्वारा अनुमोदन प्रेषित की एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से संस्था संस्था प्राप्त को नई प्रयोग अनुमोदन नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ प्रयोग प्रयोग प्रयोग द्वारा प्रेषित हेतु निर्दिष्ट नवीकरण आवश्यक निर्देशों का अनुमोदन प्राप्त आवश्यक होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐडमिनिस्ट्रेशन प्रक्रिया, भूमि, भवन, मान-मान, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुन्य, सामग्रियों सुन्य अदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-अभियंत्रण हेतु उपर्युक्त सामग्री उपलब्ध करने के साथ प्रयोग प्रयोग के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक जानकारी प्रतिक्रिया करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि संस्था में उपर्युक्त संबंधित परीक्षाओं को करने वाले हेतु निर्दिष्ट समिति के समस्त उपकरण कक्षाएँ नए अभियंत्रण, भूमि-भवन, परीक्षा, उपकरण उपर्युक्त का नई संस्था द्वारा किसी अन्य परीक्षाओं के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाता है और परीक्षा को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपर्युक्त का प्रयोग किसी अन्य कक्षा के लिए कर रही है तो उपर्युक्त संस्था की सम्बन्धित सम्बन्धित प्रयोग करने की अनुमोदन की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थायी निर्देशन दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, उपकरण, उपकरण एवं अन्य सामग्री एडमिनिस्ट्रेशन/टीचिंग/अभियंत्रण/अन्य/परिषद के माध्यम/द्वारा उपलब्ध नहीं प्राप्त होता है तो संस्था की सम्बन्धित सम्बन्धित करनी जाएगी।
- ✓ सम्बन्धित कक्षा का अनुमोदन न होने जाने अथवा कक्षा का उपयोग प्रयोग करने की प्रक्रिया में निम्नानुसार अनुमोदन/प्रस्ताव कार्यवाही की जाएगी।

(मुनीम कुमा संस्था)

संस्था

पृष्ठसं- अशिया/परिषद सम्बन्धित/3021/3538-4879

दिनांक 09/08/2021

प्रतिनिधि-

एडमिनिस्ट्रेशन/टीचिंग/SURASH INSTITUTE OF PHARMACY, HAKKARABAD, GORAKHPUR

(मुनीम कुमा संस्था)

**कार्यालय,
संघीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राधिपापरिषद/सम्बद्धता/2022/9437

लखनऊ: दिनांक: 27/09/2022

कार्यालय स्थापना

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कर्मचारी कानूनिकल और इम्प्लिया, नई दिल्ली द्वारा सौदिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 27/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता कुट्टि सहित अन्य मती पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं त्रयमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4863-SUYASH INSTITUTE OF PHARMACY

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट, 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली, 1992, विनियामवली-2000, संशुद्ध विनियामवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनी पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों एवं वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संकुल प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनिर्णयों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, लखनऊ, संकुल प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संकेत में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निरस्त यदि कोई कद दायर किया जाता है तथा दायर कद के संकेत में वह, न्यायलय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु अपेक्षित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर) भी प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, छात्र, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विद्युत-प्रतिबन्ध हेतु उपयुक्त जांचक्षण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संस्थागत पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध करने गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के ओपक राष्ट्रीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य छात्र-संख्या ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।



(एफ०आर० खान)

सचिव

फ़ोन- प्रतिपा/परिषद सम्बद्धता/2022/9438-9411

दिनांक: 27/09/2022

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SUYASH INSTITUTE OF PHARMACY



(एफ०आर० खान)

सचिव